



2026:AHC:126015

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 16526/2026

शुभम

----- आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

----- विपक्षी (गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : धीरज कुमार पांडे

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज कुमार पांडे और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शिव दत्त शुक्ला को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 571/2025, धारा 64(2)एम, 127(2) बीएनएस और धारा 5एल / 6 पोक्सो अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचनादाता को नोटिस तामील कर दिया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पीड़िता एक सहमत पक्ष है और चूंकि आवेदक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की आयु 18 वर्ष है। आवेदक 10.1.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने प्रथम शिकायतकर्ता की लगभग 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि, पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि उक्त अपराध होने के बाद उसकी मां ने आवेदक के पास उससे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन आवेदक ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक महीने बाद दर्ज की गई और रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की उम्र 18 वर्ष पाई गई है।
7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) मामले में दिए गए फैसले और इस न्यायालय के माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन इला. 6765) मामले में जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
8. तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक शुभम को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (ii) आवेदक बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - (iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - (iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।
11. बन्धपत्र स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
13. उच्चतम न्यायालय के जमानत देने की नीति रणनीति मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को ईमेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजी जाए। यह आदेश 31.01.2023 को स्वतः संज्ञान रिट आवेदन (आपराधिक) संख्या 4/2021 पर दिया गया था और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

5 जून, 2026